

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

हरिआली

बनाम

कमलकान्त

दावा

नं.

1/69

सन 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म को तामील
में जारी हुआ

13/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी को आवेज
फिलवाइ गई। किन्तु वकीलवादी द्वारा अदालत
नहीं आया। वादी स्वयं ही हाजिर नहीं हैं।
अतः वकीलवादी की अनुमति के बाद अदम फैंवी
अदम हाजरी में स्वीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद प्रीत जमा
लेख गण्डार हो।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलघर)